



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2019/फाल्गुन 23, 1940

No. 1225]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2019/ PHALGUNA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2019

का.आ. 1372(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ 'प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज,' उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:—

- (क) केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण से प्राप्त सहायता-अनुदान;
- (ख) वाहनों की पार्किंग या मेला क्षेत्र में बिक्री या प्रदर्शन/विज्ञापन के लिए लाने वाले माल के साथ आने वाला वाहन या व्यक्ति पर पथकर(टोल);
- (ग) कारोबार(बिजनेस), ट्रेड या व्यवसाय के कार्यकलाप के पंजीकरण पर फीस;
- (घ) व्यक्तियों को सेवा-प्रभार के रूप में प्रदान की गई सेवाओं पर फीस;
- (ङ.) उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण, इलाहाबाद अधिनियम, 2017 (2018 का उ.प्र. अधिनियम संख्या 5) के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा मेला क्षेत्र में लगाया गया कोई प्रभार या फीस; तथा
- (च) उपर्युक्त (क) से (ङ.) पर अर्जित व्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज,-

- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा क्रियाकलाप वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे; और

- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 तथा 2023-2024 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 22 /2019/फा. सं. 300196/14 /2019-आईटीए-I]

राजाराजेश्वरी आर., अवर सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064